①

R.M.M Law College
Saharsa
Birendra Kumar Dwivedi
Part-Time Law-Teacher
Subject- Evidence Act-
Part-III

अभिज्ञान (शिनाख्त) की गयी परेड का साक्ष्य बहुत अधिक ~~[illegible]~~ सम्पोषी साक्ष्य की प्रकृति का होता है। अभिज्ञान का परिसाक्ष्य अवश्य उस व्यक्ति द्वारा जिसका परेड कराया जा रहा है और न ही उस अधिकारी द्वारा जो परेड का संचालन कर रहा है। यह कि शिनाख्त | के लिये जहाँ भी आवश्यक है कि तेज रौशनी की व्यवस्था हो कारण अधिक से अधिक व्यक्तियों की पहचान असंभव सा है। कारण क्योंकि जिसने साक्षी ने अधिक व्यक्तियों का कि शिनाख्त कर पाना कठिन काम है। धारा 395 तथा 396 के अन्तर्गत अभियुक्तों की टीआईपीटीसी उचित है। [illegible] और [illegible] की शुरू से अन्त तक देखा है जाँच परीक्षण के परेड (अभिज्ञान शिनाख्त) टीआईपीसीडर के लिये आवश्यक है जिस आधार पर न्यायालय फैसला सुनाता है। शिनाख्ती कार्यवाही का साक्ष्य प्रयोजन जाँच करने वाले अधिकारियों को विश्वास कराना था कि अमुक व्यक्ति जिन्हें गवाह पहले से नहीं जानते थे कि अमुक अपराध से सम्बन्धित था या कोई विशेष सम्बन्ध अपराध का विषय भी, शिनाख्त का उद्देश्य ऐसे साक्ष्य को जुटाना भी होता है जो न्यायालय के समक्ष साक्षी द्वारा दिए जाने वाले कथन की सम्पुष्टि करे। मामलें का विचारण केवल अभियुक्त की पहचान पर ही न होना अनिवार्य है कि वह तमाम परिस्थितियों पर देखना सोचना (समझना है कि) परिस्थिति को ऐसी हालात पैदा किया।

(2)

दूसरे शब्दों मे तथ्यों की उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व के तार्किक एवं स्वाभाविक अनुमान के रूप मे माना जाता है, जो बिना किसी कानूनी तर्क निकाले जाते है, जो केवल तार्किक निष्कर्ष माना जाता है, यह मानव मस्तिष्क की रचना मानी जाती है। मानव कार्यों के आचरण और समाज की आदत तथा प्रथा पर आधारित है। ऐसे उपधारणा सदैव खण्डनीय होती है

जैसे कोई व्यक्ति लगातार सात वर्षों तक गायब हो जाता है तथा किसी ने उसे देखा नहीं तो वैसी स्थिति मे विधि की उपधारणा होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु होगयी। अर्थात सात वर्षों के बीत जाने मृत्यु साबित करनी होती इसके लिए तथ्य की आवश्यकता होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई या नहीं।

R.M.M. Law-College
Saharsa.

Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time-Lecturer.

Sub Evida

न्यायिक अवेक्षा के अधीन तथ्य साबित करना
आवश्यक नहीं है। जिसे न्यायालय
अवेक्षा करेगा।

न्यायालय के समक्ष जितने मुकदमें विवाद्यक तथ्य होते हैं मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से उपलब्ध आ सकते हैं। जिन तथ्यों की तरह से पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती है और जिन तथ्यों की न्यायिक कर सकता है। उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती यह अध्याय उन्ही दो प्रकार के तथ्यों से सम्बन्धित है।

यह धारा केवल इतना कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। अगली धारा उन तथ्यों का वर्णन करती है जिनका न्यायिक अवेक्षा न्यायालय की आ सकती है।

न्यायिक अवेक्षा - कुछ तथ्य ऐसे प्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित (Well-established) होते हैं, उनके अस्तित्व को साबित करना जरूरी नहीं रह जाता। न्यायालय उसके अस्तित्व का स्वयंमेव संज्ञान (Congnzence) ले लेता है। इसे न्यायिक अवेक्षा कहते हैं।